(b) if so, since when; and

(c) what are the various qualities of seeds imported by the Board during the last three years ?

THE MINISTER OF AGRICULTURE (SHRI BHAJAN LAL): (a) to (c) The National Oilseeds and Vegetable Oils Development Board has imported a single consignment of 35 tonnes of 'Improved Pereovik' variety of Sunflower seeds from Russia in July, 1987, with quality attributes of" high yield, high oil out turn, resistance to downy mildew, drought resilience maturity period of 97 to 100 days and an average height of 190 Cms.

Royalty on Lignite

363. SHRI V. GOPALSAMY:
SHRI PASUMPON THA KIRUTTINAN:

Will the Minister of STEEL AND MINES be pleased to state:

(a) whether Government have received any letter from the Neveli Lignite Corporation recommending the payment of royalty on Lignite to Tamil Nadu;

(b) if so, the amount of roaylty paid by the Neyveli Lignite Corporation during the last three years to Tamil Nadu, year-wise;

(c) the amount invested by Tamil Nadu in the Neyveli Lignite Corporation when the company was incorporated and the mining was commenced; and the details thereef; and

(d) whether any dividend has since been paid on the amount invested so far, year-wise?

THE MINISTER OF STEEL AND MINES (SHRI MAKHAN LAL FOTEDAR): (a) to (d) The Government of Tamil Nadu had incurred an expenditure of Rs. 78.89 lakhs upto 31-12-1954 on investigation works on the Neyveli Lignite project. On this amount interest at 41/2 per cent per annum was paid by NLC to the Government of Tamil Nadu from 1-1-55 till 31-3-86 when the principal was also fully repaid. No royalty has been paid to the Government of Tamil Nadu so far.

कृषि उत्पादन और किसानों की खरीद शक्ति

368. श्री राम जेठमलानी :
सरदार जगजीत सिंह अरोड़ा :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विगत में एक-दो वर्ष की छोड़कर देश में कृषि उत्पादन में वृद्धि हुई है;

(ख) क्या यह भी सच है कि किसानों की खरीद क्षमता देश में कृषि उत्पादन में हुई वृद्धि के अनुपात में नहीं बढ़ी है;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार किसानों की आर्थिक दशा सुधारने के वास्ते षि उत्पादन बढ़ाने हेतु प्रोत्साहन देने के अलावा कृषि को उद्योग का दर्जा प्रदान करने का विचार रखती है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है ?

कृषि मंत्री (श्री भजन लाल) : (क) जी, हां।

(ख) कृषि उत्पादन और उत्पादकता में वृद्धि होने से किसानों की क्रय शक्ति भी बढ़ी है।

(ग) सरकार इस समय उद्योग को उपलब्ध रियायतें कृषि के लिए देने की सम्भावना पर भी विचार कर रही है। किसानों की आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाने के लिए प्रोत्साहन पहले ही दिए जा रहे हैं।

(घ) किसानों को किए जा रहे विभिन्न प्रोत्साहन, अन्य बातों के साथ-साथ, इस प्रकार हैं:

(1) न्यूनतम समर्थन मूल्य/खरीद मूल्य प्रोत्साहन स्तर पर निर्धारित किए जा रहे हैं।

(2) किसानों को उर्वरक कम और रियायती दामों पर बेचे जाते हैं।

(3) उर्वरकों के अधिकतम खुदरा मूल्य 1981 में निर्धारित किए गए स्तर पर हैं। डीजल आयल के मूल्यों में लगभग कोई परिवतन नहीं हुआ है। बिजली और सिंचाई के पानी की दरों पर बहुत भारी रियायत है।

(4) उर्वरकों की ढुलाई पर भाड़े में छूट दी जाती है।

(5) कृषि ऋण रियायती दरों पर दिए जाते हैं।

(6) विभिन्न अभिवृद्धि (थ्रस्ट) कार्यक्रमों के अंतर्गत छोटे और सीमान्त किसानों को राजसहायता के रूप में प्रोत्साहन दिए जाते हैं।

*369. *[Transferred to the 9th August, 1989]*

Setting up of a steel plant in Assam

*370. SHRIMATI BIJOYA CHAKRAVARTY: Will the Minister of STEEL AND MINES be pleased to state:

(a) whether there is any proposal for the setting up of a steel plant in Assam; and

(b) if so, by when it is likely to be set up?

THE MINISTER OF STEEL AND MINES (SHRI MAKHAN LAL FOTEDAR): (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों की सूची में कुछ और समुदायों को शामिल किया जाना

*371. श्री अजीत जोगी: क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि सरकार अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों की सूची में समाज के कुछ और समुदायों को भी शामिल करने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में अंतिम निर्णय कब तक ले लिए जाने की संभावना है; और

(ग) इस प्रयोजन के लिए क्या प्रक्रिया अपनायी जा रही है और क्या इस प्रयोजना के लिए जनता के प्रतिनिधियों और विशेषज्ञों की एक समिति गठित की जाएगी?

कल्याण मंत्रालय की राज्य मंत्री (डा० राजेन्द्र कुमारी वाजपेयी): (क) और (ख) अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों की सूचियों में संशोधन करने का एक प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन रहा है परन्तु कोई समय सीमा विनिर्दिष्ट नहीं की जा सकती चूंकि अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों की विद्यमान सूचियों में संशोधन, संविधान के अनुच्छेद 341(2) तथा 342(2) को ध्यान में रखते हुए केवल संसद के अधिनियम द्वारा ही किया जा सकता है।

(ग) अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियो की सूची में किसी भी संशोधन के प्रस्तावों पर अपनाए जाने वाले मानदण्डों को ध्यान में रखते हुए संबंधित राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासन के परामर्श से कार्रवाई की जाती है।